

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बड़जलास भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण

1. हरिसिंह पुत्र छतरसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र छतरसिंह
3. हडमतसिंह पुत्र छतरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भैव

बनाम

प्रतिवादी

1. श्रीमति गुलाबकुंवर पत्नि पहाडसिंह राजपूत निवासी भैव (शिवगंज)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज

वाद संख्या 89/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक 23.12.2020

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज द्वारा दिनांक 13.8.2020 को जारी प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने पत्राक/2020/4893 दिनांक 11.12.2020 को सरहद मौजा भैव के खाता सं. 414 के खसरा नम्बर 203 रकबा 25 बीघा भूमि का पक्षकारान को सूचित कर बाद मौके पर काबिज काश्त एवं वॉय मिट्स एण्ड वाउण्डस अनुसार बटवाड प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर निम्नानुसार पेश किया है।

कं स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा मे	किस्म	वंग
1	2	3	4	5	6
1.	हरिसिंह पुत्र छतरसिंह, सवाईसिंह पुत्र छतरसिंह, हडमतसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत साकिन भैव खातेदार। रहन SBI पोसालिया।	203 मे से एक	12-10 12-10	ब.2 —	हरा
2.	गुलाबकुंवर धर्मपत्नि स्व. पहाडसिंह जाति राजपूत निवासी सा.देह खातेदार	203 मे से एक	12-10 12-10	ब.2	लाल

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादीगण का यह वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी को कतिपय प्रावधानो व मौके पर काबिज काश्त अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को उक्तानुसार बटवाडा व सलग्न नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शा मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्याप्त है। निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ:—

1. तहसीलदार शिवगंज

डिकी व मुकदमें इब्दाई
(आर्डर 21 रूल 6,7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बड़जलारा भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. हरिसिंह पुत्र छतरसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र छतरसिंह
3. हडमतसिंह पुत्र छतरसिंह जातिगण
राजपूत निवासीगण भैव

1. श्रीमति गुलाबकंवर पत्नि पहाडसिंह
राजपूत निवासी भैव (शिवगंज)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज

वाद संख्या 89/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतौई रूबरू.....व हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिकी दी जाती है कि- वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिकी किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि वे सरहद गौजा भैव पटवार हल्का बागसीन तहसील शिवगंज में स्थित निर्णय में वर्णित पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 414 खसरा नम्बर 203 रकबा 25 बीघा भूमि है।

नजरी नक्शा में प्रदर्शित वादीगण व प्रतिवादी का हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत होने से बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज आदेश मुजहब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरगीम कर पालना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2020 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर (उप-डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

मुद्दाई	रुपया/पै.	मुद्दायलाह	रुपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुकमनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान	-:शून्य:-

5मा15/611 दि 24.12.20


प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)



वाच.सं. ९९/२०१९
हरिद्विह व/स गुणवत्ता (अथ
९३.१८० RMBH

जडशा देकी
मोना - शेव
बह - सिवांग



← वीहवा →

महासक कलवटर
शिवगज (शिवेपी)



हरिद्विह सवापिह डडकासिह पि. छतरासिह
हरिद्विह  एसएमसिह



गुणवत्ता कुंवाळ पराडसिह

साल प्रतिपिपि

शासकान लेखनिः शुक्र जारी


Jeevan Singh



मूणासिह

पतापसिह

मं व शसिह


20/11/2020



20/11/2020
P. Anand
(गुणवत्ता देकी)
हेलीकार
शिवगज